न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/206

दायरा दिनांक : 12.10.2022

उनवान

1. भैरूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति माली, निवासी रायथल हाल निवासी कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2. श्रीमती सुगना बाई पत्नी भैरूलाल, आयु 60 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
3. कमल उर्फ कमलराज, आयु 30 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल, आयु 60 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
4. मुकेश उर्फ चन्द्रभान, आयु 26 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल, आयु 60 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. चतुर्भुज आयु 38 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
2. अनिल कुमार आयु 33 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
3. रूकमणी बाई आयु 62 वर्ष पत्नी श्री भैरूलाल, जाति माली, निवासी रायथल, तहसील अटरू, जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राजेश गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : 22.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 216/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल रायथल, तहसील मांगरोल में खतौनी संख्या 106 सम्वत 2034 से 2037 की कुल आराजी 11 किता रकबा कुल 28 बीघा 18 बिस्वा स्थित थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 से वाद वादी स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट क्रम 1 ने दिनांक 04.10.1999 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नं. 715 रकबा 1.91 हेक्टर व खसरा नं. 720 रकबा 0.62

22/8/24
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हेक्टर आराजी रामेश्वर पुत्र श्री बिरधीलाल, जाति मीणा, निवासी मूण्डली को बेचान कर दी थी, शेष आराजियात खसरा नं. 1124 रकबा 0.08 हेक्टर व खसरा नं. 1206 रकबा 0.07 हेक्टर, खसरा नं. 1673 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नं. 1685/1993 रकबा 0.93 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.80 हेक्टर अपीलांट कम 1 के खातेदारी में दर्ज थी, जिसका वाद पत्र में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 ता 3 द्वारा पेश किया गया था कि उक्त आराजी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा अपीलांट कम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेज का सही प्रकार से अवलोकन न कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत तामील नहीं करवायी गयी। अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 को निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में उचित होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 निरस्त फरमाया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु भिजवाया जाकर अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.09.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि चारों प्रतिवादी को सम्मन तामील नहीं हुए। प्रतिवादी उस गांव में नहीं रहते जहां तामील हुई है। हमें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 2009 का है, जबकि अपीलांट ने 2022 में अपील पेश की है जो मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि प्रतिवादी कुन्जेड़ में रहते हैं और ना ही ऐसा कोई ऐवीडेंस या दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

22/8/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में हमें सम्मन तामील नहीं हुए। अपीलांट कुन्जेड़ में निवास करते हैं जबकि सम्मन रायथल के पते पर भिजवाये गये। अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं मिलने से प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशनकार्ड प्रस्तुत किये गये हैं। राशन कार्ड में चयन वर्ष 2002 अंकित है। अर्थात् अपीलांट्स का सन् 2002 अथवा उससे पूर्व से कुन्जेड़ में निवास करना प्रकट होता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे अपीलांट्स का रायथल में निवास करना प्रमाणित हो।

रेस्पोडेंट्स के अभिभाषक का कथन है कि निर्णय सन् 2009 का है एवं अपील संन् 2022 में की गई है। अतः मियाद के आधार पर अपील खारिज की जावे। हमारी राय में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट्स को सम्मन तामील नहीं होने से उन्हें निर्णय की जानकारी नहीं होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में मियाद के आधार पर अपील खारिज करना उचित प्रकट नहीं होता।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार समाप्त किये गये हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को बगैर सुनवाई का मौका दिये निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निर्णय अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब का अवसर देकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा